



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276048
CG-DL-E-07092026-276048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/ भाद्र 10, 1948

No. 238]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/ BHADRA 10, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

सार्वजनिक सूचना सं. 27/2026-27 हेतु

विषय: 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात के लिए टीआरक्यू के आवेदन और वितरण की कार्यरिति और अग्रिम प्राधिकार पत्र(एए) स्कीम से प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) स्कीम में एक बार के परिवर्तन से संबंधित सार्वजनिक सूचना सं. 27/2026-2027 दिनांक 20.08.2026 हेतु शुद्धि पत्र के संबंध में।

एफ.संख्या.1/89/180/180/43/एएम-26/पीसी-2(ए)/[ई-47388].— सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2026-2027 दिनांक 20.08.2026 के आंशिक संशोधन में, और विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 7 (ग) में, मौजूदा प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

मौजूदा:

6743 GI/2026

(1)

ग. टीआरक्यू के तहत आयातित कच्ची चीनी को आयात के बाद उचित अवधि के भीतर सफेद/परिष्कृत चीनी में प्रसंस्कृत किया जाएगा और किसी भी स्थिति में, 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में इसकी बिक्री को सक्षम करने के लिए पर्याप्त रूप से पहले ही प्रसंस्कृत किया जाएगा।

निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित:

"ग. टीआरक्यू के तहत आयातित कच्ची चीनी को आयात के बाद उचित अवधि के भीतर सफेद/परिष्कृत चीनी में प्रसंस्कृत किया जाएगा, बशर्ते कि आयातक कच्ची चीनी को सफेद/परिष्कृत चीनी में परिवर्तित करेगा और प्रविष्टि बिल दाखिल करने की तारीख से दो महीने से अनधिक की अवधि के भीतर इसे घरेलू बाजार में बेचेगा।

3. सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2026-2027 दिनांक 20.08.2026 की अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th August, 2026

Public Notice No. 27/2026-2027

Subject: Corrigendum to Public Notice No. 27/2026-2027 dated 20.08.2026 regarding Modalities for Application and Distribution of TRQ for Import of 10 Lakh MT of Raw Sugar and one-time conversion from Advance Authorisation (AA) Scheme to Tariff Rate Quota (TRQ) Scheme-reg.

F.No. 01/89/180/43/AM-26/PC-2(A)/[E-47338].— In partial modification of Public Notice No. 27/2026-2027 dated 20.08.2026, and in exercise of powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment:

2. In Paragraph 7(c) of the said Public Notice, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:

Existing:

"c. The Raw Sugar imported under the TRQ shall be processed into White/Refined Sugar within a reasonable period after import and, in any event, sufficiently in advance to enable its sale in the domestic market by 31 October 2026."

Substituted by:

"c. The Raw Sugar imported under the TRQ shall be processed into White/Refined Sugar within a reasonable period after import, provided that the importer shall convert the raw sugar into white/refined sugar and sell the same in the domestic market within a period, not exceeding two months, from the date of filing of bill of entry."

3. All other terms and conditions of Public Notice No. 27/2026-2027 dated 20.08.2026 shall remain unchanged.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.